क्रम-संख्या–260

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

# असाधारण

## विधायी परिशिष्ट

**भाग–3, खण्ड (क)**

(उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के विधेयक)

**लखनऊ, मंगलवार, 21 दिसम्बर, 2021**

**अग्रहायण 30, 1943 शक सम्वत्**

**विधान सभा सचिवालय**

उत्तर प्रदेश

**(संसदीय अनुभाग)**

संख्या 1178 / वि0स0 / संसदीय / 106(सं)-2021

लखनऊ, 16 दिसम्बर, 2021

अधिसूचना

**प्रकीर्ण**

उत्तर प्रदेश राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 16 दिसम्बर, 2021 के उपवेशन में पुरःस्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम 126 के अन्तर्गत एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

## उत्तर प्रदेश राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021

उत्तर प्रदेश राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2021 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2021 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश

2–उत्तर प्रदेश राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2021

अधिनियम संख्या 8 सन् 2021 की धारा 3 का संशोधन

(जिसे आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) में शब्द "उत्तर प्रदेश राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय" के स्थान पर शब्द "मेजर ध्यानचन्द क्रीड़ा विश्वविद्यालय" रख दिया जाएगा।

धारा 10 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 10 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

10–विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात् :–

(एक) कुलाधिपति ;

(दो) कुलपति ;

(तीन) निदेशकगण ;

(चार) संकायाध्यक्ष ;

(पाँच) प्रधान कोच ;

(छः) कुलसचिव ;

(सात) परीक्षा नियंत्रक ;

(आठ) पुस्तकालयाध्यक्ष ;

(नौ) वित्त अधिकारी ; और

(दस) ऐसे अन्य अधिकारी, जिन्हें विनियमावली द्वारा विश्वविद्यालय का अधिकारी घोषित किया जाये।

धारा 17-क का बढ़ाया जाना

4–मूल अधिनियम में, धारा 17 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी :-

"17-क (1) वित्त अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश वित्त सेवा के अधिकारियों में से की जाएगी और वित्त अधिकारी की निबन्धन और शर्तें, राज्य सरकार की संबंधित सेवा नियमावली के अनुसार शासित होंगी।

वित्त अधिकारी

(2) वित्त अधिकारी, राज्य सरकार के अनुशासनिक नियंत्रण के अध्यधीन होगा। तथापि, कार्य परिषद समुचित जाँच करने के पश्चात् वित्त अधिकारी के विरुद्ध अनियमितताओं की रिपोर्ट या कार्यवाही की संस्तुति राज्य सरकार को करेगी।

(3) वित्त अधिकारी, वित्त समिति का पदेन सचिव होगा किन्तु वह ऐसी समिति का सदस्य नहीं समझा जाएगा।"

## उद्देश्य और कारण

राज्य में क्रीड़ा सम्बंधी महत्वाकांक्षाओं को गति देने और क्रीड़ा सम्बंधी वातावरण विकसित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ में सम्बद्धताकारी तथा अध्यापन क्रीड़ा विश्वविद्यालय के रूप में उत्तर प्रदेश

राज् य क्रीड़ा विश्वविद्यालय स् थापित किया जाना प्रस् तावित है।

क्रीड़ाओं को सम्यक् मान् यता प्रदान करने के उद्देश् य से यह विनिश्चय किया गया है कि पूर्वोक् त क्रीड़ा विश्वविद्यालय का नाम मेजर ध् यानचन् द के नाम पर रखा जाए , जिनका भारतीय क्रीड़ाओं के प्रति बहुत बड़ा योगदान है। अग्रतर यह कि उक् त क्रीड़ा विश्वविद्यालय के सुचारू संचालन को सुगम बनाने के उद्देश् य से वित् त अधिकारी का पद सृजित करने तथा उसके कार्य एवं उत्तरदायित्वों को परिभाषित करने की आवश् यकता का भी अनुभव किया गया है ।

उपरोक् त को दृष्टिगत रखते हुए उत् तर प्रदेश राज् य क्रीड़ा विश्वविद्यालय अधिनियम , 2021 (उत् तर प्रदेश अधिनियम संख् या 8 सन् 2021) की धारा 3 एवं 10 में संशोधन करके उक् त अधिनियम में एक नयी धारा 17-क बढ़ाये जाने का विनिश्चय किया गया है।

तद्नुसार उत् तर प् रदेश राज् य क्रीड़ा विश्वविद्यालय (संशोधन ) विधेयक , 2021 पुर :स् थापित किया जाता है।

उपेन् द्र तिवारी ,
राज् य मंत्री
(स् वतंत्र प्रभार )
खेल ।

———————

उत्तर प्रदेश राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 द्वारा संशोधित की जाने वाली मूल अधिनियम की संगत धाराओं का उद्धरण।

उत्तर प्रदेश राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2021

धारा 3-(1) उत्तर प्रदेश राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय नामक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी;

धारा 10-विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात्:—

(एक) कुलाधिपति;
(दो) कुलपति;
(तीन) निदेशकगण;
(चार) संकायाध्यक्ष;
(पांच) प्रधान कोच;
(छः) कुल सचिव;
(सात) परीक्षा नियंत्रक;
(आठ) पुस्तकालयाध्यक्ष; और
(नौ) ऐसे अन्य अधिकारी, जिन्हें विनियमावली द्वारा विश्वविद्यालय का अधिकारी घोषित किया जाये।

आज्ञा से,
प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

482 RPH (Kreeda) (Sansadiya) 2021 Data 4e

UTTAR PRADESH SARKAR
SANSADIYA KARYA ANUBHAG-1

No. 852/XC-S-1–21-51S-2021
*Dated Lucknow, December* 20, 2021

NOTIFICATION
MISCELLANEOUS

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the "Uttar Pradesh Rajya Kreeda Vishvavidyalaya (Sanshodhan) Vidheyak, 2021" introduced in the Uttar Pradesh Legislative Assembly on December 16, 2021.

THE UTTAR PRADESH STATE SPORTS UNIVERSITY (AMENDMENT) BILL, 2021

A

BILL

*further to amend the Uttar Pradesh State Sports University Act,* 2021.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-second Year of the Republic of India as follows:-

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh State Sports University (Amendment) Act, 2021.

Amendment of section 3 of U.P. Act no. 8 of 2021

2. In sub-section (1) of section 3 of the Uttar Pradesh State Sports University Act, 2021 (hereinafter referred to as the "principal Act "), *for* the words "Uttar Pradesh State Sports University", the words "Major Dhyanchand Sports University" shall be *substituted*.

Amendment of section 10

3. *For* section 10 of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely :-

"10. The following shall be the officers of the University, namely:-

(i) the Chancellor;

(ii) the Vice-Chancellor;

(iii) the Directors;

(iv) the Deans;

(v) Head Coaches ;

(vi) the Registrar;

(vii) the Controller of Examinations ;

(viii) the Librarian;

(ix) the Finance Officer; and

(x) such other persons as may be declared by regulations, to be the officers of the University."

4. In the principal Act, *after* section 17 the following section shall be Insertion of

*inserted*, namely :- section 17-A

"17-A (1) The Finance Officer shall be appointed by the State Government from amongst the officers of Uttar Pradesh Finance Services, and the terms and conditions of services of the Finance Officer shall be governed according to the concerned service rules of the State Government.

Finance Officer

(2) The Finance Officer shall be subject to disciplinary control of the State Government. However, the Executive Council may report irregularities or recommend action against the Finance Officer to the State Government after making appropriate inquiry.

(3) The Finance Officer shall be the *ex-officio* Secretary of the Finance Committee, but shall not be deemed to be a member of such Committee."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh State Sports University is proposed to be established in Meerut District of Uttar Pradesh as an affiliating and teaching University of sports in order to spearhead sporting ambitions and to develop sports environment in the State.

In order to give sports due recognition, it has been decided that the aforesaid sports University be named after Major Dhyanchand whose contribution to Indian sports is immense . Further, a need has also been felt to creat e the post of Finance officer and define work and responsibilities thereof in order to facilitate the smooth operation of the said Sports University.

In view of the above, it has been decided to amend sections 3 and 10 of the Uttar Pradesh State Sports University Act, 2021 (U.P. Act no. 8 of 2021) and insert a new section 17-A in the said Act.

The Uttar Pradesh State Sports University (Amendment) Bill, 2021 is introduced accordingly.

UPENDRA TIWARI,
*Rajya Mantri (Swatantra Prabhaar),*
*Khel.*

By order,
J. P. SINGH-II,
*Pramukh Sachiv.*

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 482 राजपत्र–2021–(1094)–599+25+5=629 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

482 RPH (Kreeda) (Sansadiya) 2021 Data 4e